१२/
२८/८/२२ पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन मरतबा आवाज पुकारवाने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व आदेशिकाओं के अनुसार तलबी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं दिनांक १८.७.२२ को अंतिम अवसर प्रदान करने के बाद भी अवसर प्रदान करने के बावजूद तलबी पेश नहीं की गई। ना ही कोई उचित [illegible] कारण बताया गया है अतः न्यायालय आदेश-९ नियम ३ के सीपीसी वाद को खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तहसील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़